



Certificate No. J0M2020J112



GRN No. 68290111

Stamp Duty Paid : ₹ 38500
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Dharmender

H.No/Floor : X

Sector/Ward : X

LandMark : X

City/Village : Yakubpur

District : Jhajjar

State : Haryana

Phone: 79*****47



Buyer / Second Party Detail

Name : Prj warehousing pvt ltd

H.No/Floor : X

Sector/Ward : X

LandMark : X

City/Village : Gurugram

District : Gurugram

State : Haryana

Phone : 79*****47

Purpose : SALE DEED

1030

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

बयनामा / बिक्रीपत्र

किस्म वसीका

किस्म आराजी

रकबा

गांव

तहसील

मालयती

स्टाम्प

स्टाम्प नम्बर /तारीख

स्टाम्प जारीकर्ता

बयनामा / बिक्रीपत्र

कृषि भूमी

8.398 मरला

याकुबपुर

तहसील बादली जिला झज्जर

5,51,156/-रूपये

38,500/-रूपये

J0M2020J112 GRN NO. 68290111

हरियाणा सरकार



Dharmender



प्रलेख न:1030

दिनांक:13-10-2020

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम SALE URBAN AREA OUTSIDE MC	
तहसील/सब-तहसील बादली	गांव/शहर याकुबपुर स्थित याकुबपुर
शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर	अन्य क्षेत्र
भवन का विवरण	
भूमि का विवरण	
कृषि चाही	8 Marla
खेवट नम्बर :- 432/4	
धन संबंधी विवरण	
राशि 726000 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 36300 रुपये
स्टाम्प नं : j0m2020j112	स्टाम्प की राशि 38500 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5000 रुपये	EChallan:68290805
	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By: दीपक सैनी वकील	Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 13-10-2020 दिन मंगलवार समय 5:44:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी धर्मनंद पुत्र छोदू निवास याकुबपुर द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (बादली)
Sub Registrar
BADLI

धर्मनंद
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
धर्मनंद

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

धर्मनंद
दिनांक 13-10-2020
धर्मनंद

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (बादली)
Sub Registrar
BADLI

उपरोक्त क्रेताव श्री/श्रीमती/कुमारी Ms PRJ Warehousing Pvt Ltd thru through Neetesh Yadav OTHER हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी शमशेर पिता --- निवासी याकुबपुर व श्री/श्रीमती/कुमारी प्रदीप पिता रामकुमार निवासी कुतानी ने की।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 13-10-2020

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (बादली)
Sub Registrar
BADLI

यह बयनामा आज दिनांक अक्टूबर 2020 तहसील बादली जिला झज्जर हरियाणा मे तहरीर किया गया।

धर्मेन्द्र (आधार न0 2026-9759-1196) पुत्र छोटेलाल पुत्र पृथी 21/14620 भाग निवासी याकुबपुर तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा जिसे विक्रेता कहा गया है जिसमे विक्रेता के उत्तराधिकारी, वारिस, प्रबन्धक व तहरीरकर्ता नामित व्यक्ति आदि सम्मिलित है।

.....प्रथम पक्ष/ विक्रेता

तथा

M/s P.R.J. Warehousing Pvt. Ltd. (Company PAN No. AAKCP1188M), a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 with its registered office at Plot no. 31P, Sector 38 Gurugram, Haryana-122003 through its Authorized Signatory Mr. Neetesh Yadav vide Board Resolution dated 24th September 2020, जिन्हे क्रेता कहा गया है जिसमें क्रेता के उत्तराधिकारी प्रबन्धक, तहरीरकर्ता या नामित व्यक्ति शामिल है।



.....द्वितीय पक्ष/क्रेता

संयुक्त रूप से उपरोक्त पक्षकार विक्रेता व क्रेता कहलाये जाते है।

- 1- जो कि हम आराजी जरई वाका मौजा याकुबपुर तहसील बादली, जिला झज्जर खेवट नं0 432/4 खाता नं0 448/3 मुस्तील नं0 100 किला नं0 25/2/2(1-13) मुस्तील नं0 101 किला नं0 21/1(0-8), मुस्तील नं0 103 किला नं0 1(8-0), 2(9-4), 9(8-8), 10(8-0), 11(8-0), 12(8-6), 19(7-16), 20(8-0), 21(8-0), 22(6-12), मुस्तील नं0 104 किला नं0 2(7-19), 3(8-0), 4(8-0), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 9(7-8), 12(6-16), 13(7-19), 14(8-0), 15(8-0), 16(8-0), 17/1(3-12), 17/2(4-8), 18/1(4-4), 18/2(0-16), 18/3(0-16), 18/4(0-16),

Dharmender



18/5(0-16), 24/1(2-0), 24/2(1-0), 24/3(1-0), 24/4(4-0), 25(8-0), मुस्तील नं0 117 किला नं0 4/1(2-0), 4/2(6-0), 5/1(2-0), 5/2(6-0), 6(8-0), 15(8-0), मुस्तील नं0 118 किला नं0 1(8-0), 2(5-8), 9(4-0), 10(8-0), 11(9-12), 20(6-16), 21(2-12), मुस्तील नं0 130 किला नं0 5/1(कमज मरला), 5/2(0-2), कुल किते 52 रकबा 292 कनाल 7 मरला का 21/14620 भाग बकदर 0 कनाल 8.398 मरला वाका मौजा याकुबपुर तहसील बादली, जिला झज्जर का बरुवे जमाबन्दी साल 2015-2016 वा फर्द बदर न0 33, 39 वा ईन्तकाल न0. 4615, 4646, 4647 मंजूर शुदा की रूह से मालिक व काबिज है। जिसे "विक्रय भूमी कहा गया है।

- 2- यह कि विक्रेता उक्त विक्रय भूमी का पूर्ण रूप से मालिक व काबिज है। बकौल विक्रेता उक्त विक्रय भूमि किसी भी प्रकार के भार, ऋण, बंधक, कानूनी दावा, कुर्की, नाबालिग अधिकार, बंटवारा, न्यायालय में वाद विवाद, स्टे आदेश डिक्री, सीलिंग, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, तृतीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के दावे/अधिकार, दान, कोई किरायेदारी, इकरारनामा, कोई हस्तान्तरण व्यवस्था या किसी अन्य कानूनी त्रुटि आदि से बाधित नहीं है।
- 3- यह कि उक्त विक्रय भूमी आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से सुरक्षित है। आज तक कहीं पर पट्टा - रहन - बैय - हिब्बा - तबादला या अन्य दीगर तरीका से मुन्तकिल ना किया हुआ है ।
- 4- यह कि विक्रेता उक्त विक्रय भूमि के पूर्ण भाग या हिस्से को किसी भी व्यक्ति के साथ विक्रय, हस्तान्तरण आदि प्रपत्र तहरीर करने के लिए बिना किसी तृतीय पक्ष अथवा विक्रेतागण के किसी कानूनी वारिस की आपत्ति के बिना पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।
- 5- यह कि अपनी व अपने परिवार की सदभावना पूर्ण आर्थिक आवश्यकता व जरूरत के अनुसार अब विक्रेता ने अपनी मर्जी व खुशी से बिना किसी दबाव व बहकावे के अपने आत्मज्ञान तथा प्रसन्नचित से उपरोक्त "विक्रय भूमी" रकबा 0 कनाल 8.398 मरला कुल हक हकूक मय हक थली व आकाशी सर्व अधिकार सहित बाएवज मुबलिग 1,05,00,000/- रूप्ये प्रति एकड, कुल

Dharmendes

Meeter



मुबलिग 5,51,156/- रुपये (पांच लाख इक्यावन हजार एक सौ छप्पन रुपये केवल) जिसके आधे मुबलिग 2,75,578/- (दो लाख पिच्छत्तर हजार पांच सौ अटहत्तर रुपये केवल) होते हैं बदस्त **M/s P.R.J. Warehousing Pvt. Ltd.** (द्वितीय पक्ष/क्रेता) को बेच व फरोक्त कर दिया है और कुल जर्रे कीमत निम्न प्रकार से प्राप्त कर चुका है।

क्रमांक न0	चैक न0	रकम	दिनांक	बैंक	नाम
1	274355	5,51,156/-	12.10.2020	इण्डसइण्ड बैंक	धर्मेन्द्र

6- यह कि अब क्रेता की तरफ विक्रय कीमत में से कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा है । “विक्रय भूमी” की कुल रकम मुबलिग 5,51,156/- रुपये (पांच लाख इक्यावन हजार एक सौ छप्पन रुपये केवल) प्राप्त कर ली गई है।

7- यह कि विक्रेता ने उक्त “विक्रय भूमी” को पूर्णरूप से कब्जे के आधार पर, सभी अधिकारों सहित उसमें लगे पेड व निर्माण आदि, जो उसमें विद्यमान हो, भूमि को सभी अधिकारों सहित उसका भौतिक कब्जा क्रेता का करा दिया है तथा क्रेता को पूर्ण रूप से बायान जैसा मालिक व काबिज बना दिया है । अगर भविष्य में भी “विक्रय भूमी” पर मालिकाना हक कब्जे को लेकर कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो विक्रेता वा उसके वारसान पूर्णरूप से जिम्मेवार रहेंगे।

8- यह कि विक्रेता, क्रेता को यह आश्वासन देता है कि, उक्त “विक्रय भूमी” पर कोई भी भार, लोन/ऋण या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी बकाया शेष नहीं है। यह कि विक्रेता यह फिर से आश्वासन देता है कि इस बैयनामें के बाद भी उक्त भूमि पर कोई टैक्स, भार या राजस्व बकाया आदि पाया जाता है तो उसका उत्तरदायी विक्रेता स्वयं होगा।

9- यह कि विक्रेता यह आश्वासन देता है कि उक्त “विक्रय भूमी” को अधिग्रहीत करने का सरकार द्वारा कोई नोटिस न दिया गया है और न ही प्राप्त हुआ है।

Dharmender



- 10- यह कि विक्रेता उक्त बैयनामा के तहरीर होने के बाद उक्त भूमि को क्रेता के नाम पर राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज दर्ज कराने में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति देने, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे मुख्तयानामा आदि निष्पादित करने आदि जिससे दाखिल खारिज की कार्यवाही क्रेता के हक में कराने या उसके हस्तान्तरण/नामित व्यक्तियों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो क्रेता को बिना आपत्ति सहयोग करेगा।
- 11- यह कि अब "विक्रय भूमी" से विक्रेता का एवम् विक्रेता के वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का ना रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा। क्रेता इस "विक्रय भूमी" को स्वतन्त्र रूप से किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकता है।
- 12- यह कि उक्त "विक्रय भूमी" में विक्रेता का कोई हकदार किसी प्रकार का झगडा करेगा या उक्त "विक्रय भूमी" किसी नुक्स कानुनी या वाक्याती की वजह से कब्जा या मालकाना हक खरीदार से निकल जावेगी तो उस सुरत में पैरवी जवाब देही व हर्जा खर्चा चापसी कुल जर्रे कीमत सब बाजिम्मे विक्रेता होगी।
- 13- कुल खर्चा बैयनामा मय स्टाम्प एवम् रजिस्ट्रेशन फीस क्रेता ने अपने पास से लगाया है। विक्रेता क्रेता को आदवासन देता है कि ईन्तकाल बैय बहक दर्ज कराकर मन्जूर करा दूंगा।
- 14- यह कि यह बैयनामा विक्रेता को पढकर सुनाया एवम् समझा दिया गया है और अब विक्रेता ने उक्त इकरारनामे के तथ्यों को समझ कर इसका निष्पादन निम्न गवाहों के समक्ष बिना किसी जोर दबाव व भय के कर दिया है।

Handwritten signature

Pharmend



15-

अतः बैयनामा लिख दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे । तहरीर तारीख अक्टूबर 2020.

विकेता:-

Dharmender
धर्मेन्द्र

केता:- M/s P.R.J. Warehousing Pvt. Ltd.



through authorized signatory

गवाह:-

21 नवंबर 2020

1. शमशेर नम्बरदार याकुबपुर



2 प्रदीप पुत्र रामकुमार

निवासी कुतानी

Dyadru

Drafted by :

DEEPA SAINI
Advocate
Distt. Court, Jhajjar
En. No. P/1114/2014

13/10/2020

Reg. No.

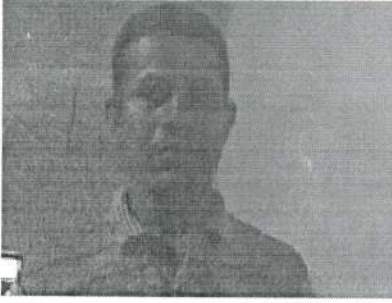
Reg. Year

Book No.

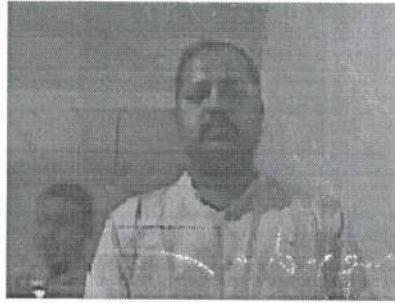
1030

2020-2021

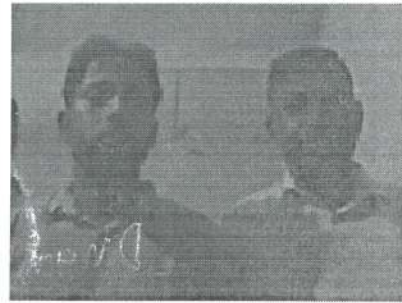
1



विक्रेता



क्रेता



गवाह



विक्रेता :- धर्मेन्द्र Dharmender

क्रेता :- thru through Neetesh Yadav OTHERMs PPG Warehousing Pvt Ltd

गवाह 1 :- शमशेर

गवाह 2 :- प्रदीप

प्रमाण पत्र

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी



प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1030 आज दिनांक 13-10-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 3436 के पृष्ठ नं 99.5 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 38 के पृष्ठ संख्या 68 से 73 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 13-10-2020

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी (बादली)
Sub Registrar
BADLI